नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म.प्र.)

पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू

निविदा प्रपत्र

कार्यालय अधिष्ठाता

ई-निविदा सूचना क्रमांक /क्रय/Tender/ET-01/2026-27 दिनांक: .08.2026

श्री / मेसर्स - ....

....

कार्य का नाम - पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू में कैटरिंग कार्य (भोजन, पानी की व्यवस्था) हेतु दर निर्धारण ।

अनुबंध क्रं. - ...., दिनांक ....

कार्यादेश क्रं. - ...., दिनांक ....

अधिष्ठाता
पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन
महाविद्यालय, महू (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता

पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना क्र. : 4232/Pur./Tender/ET-01/2026-27, दिनांक 06.08.2026

पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू (म.प्र.) द्वारा निम्न दर्शाये कार्य हेतु पंजीकृत फर्मो / संस्थाओं से खुली निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत निविदा ई-निविदा पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी व भरी जा सकेगी। ई-निविदा प्रकाशन उपरान्त निविदा में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा। कार्यो का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य का नाम
01.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू (म.प्र.) में कैटरिंग कार्य (भोजन, पानी की व्यवस्था) हेतु दर निर्धारण।

- निविदा ऑनलाईन भरने की प्रारंभिक तिथि 07.08.2026 से एवं अंतिम तिथि 01.09.2026
- निविदा की हार्ड कॉपी मोहर बंद लिफाफे में कार्यालय में पहुंचने की अंतिम तिथि 05.09.2026

Dean
Nanaji Deshmukh Veterinary Science University
College of Vety. Sc. & A.H.
MHOW (M.P.)

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म.प्र.)

पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू (म.प्र.) 453446

ई-निविदा सूचना

ई-निविदा सूचना क्र. :4231/Pur./Tender/ET-01/2026-27, दिनांक 06.08.2026

पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू में कैटरिंग कार्य (भोजन, पानी की व्यवस्था) हेतु दर निर्धारण के लिए न्यूनतम दर हेतु पंजीकृत फर्मो / संस्थाओं से खुली निविदा, ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । विस्तृत निविदा ई-निविदा पोर्टल www.mptenders.gov.in पर देखी व भरी जा सकेगी । ई-निविदा प्रकाशन उपरान्त निविदा में कोई संशोधन या परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उल्लेखित ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा ।

क्रं.	कार्य का विवरण	धरोहर राशि रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अवधि
1	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू में कैटरिंग कार्य (भोजन, पानी की व्यवस्था) हेतु दर निर्धारण ।	50,000/-	2000/-	एक वर्ष

निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि	दिनांक 17.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से दिनांक 01.09.2026 सायं 5:00 बजे तक
प्री बिड मीटिंग (महाविद्यालय भवन सभागार)	दिनांक 14.08.2026, दोपहर 3:00 से सायं 4:00 बजे तक
बिड / निविदा भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 01.09.2026 सायं 5:00 बजे तक
तकनीकी दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 09.09.2026 सायं 5:00 बजे तक
तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि	दिनांक 10.09.2026 प्रात: 11:30 बजे
प्राइज बिड खोले जाने की तिथि	दिनांक 11.09.2026 (परिवर्तनीय)

नोट :- निविदा को स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है । इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जावेगा ।

कार्यालय का पता:- कार्यालय अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू ओल्ड ए.बी. रोड ग्राम हरनियाखेड़ी, महू इन्दौर (म.प्र.) – 453446 ।

अधिष्ठाता
पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन
महाविद्यालय,
महू (म.प्र.)

कार्यालय अधिष्ठाता
पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय,
महू (म.प्र.)- 453446

ई-निविदा सूचना क्र. 523//क्रय/Tender/ET-01/2026-27 दिनांक 06.08.2026

1. **निविदा प्रपत्र भरते समय निविदा की पात्रता हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें :-**

1.1. आमंत्रित निविदा "ई-निविदा" पद्धति पर आधारित है। निविदा, ई-निविदा के माध्यम से **www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गयी है ।

1.2. आवेदनकर्ता ईकाई अपने प्रस्ताव ई-टेन्डर के माध्यम से ई-पोर्टल **www.mptenders.gov.in** पर प्रस्तुत करेगी, निविदा प्रकाशन के उपरान्त निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह मात्र उपरोक्त उललेखित ई-पोर्टल पर ही उपलब्ध रहेगा ।

1.3. निविदा टू बिड प्रणाली पर आधारित है । अ – तकनीकी बिड, ब – वित्तीय बिड ।

1.4. निविदा शुल्क की राशि एवं धरोहर राशि (EMD) ई-पोर्टल के माध्यम से देय होगी ।

1.5. **तकनीकी बिड – परिशिष्ट – 01**.– निविदा आवेदन की पात्रता हेतु निम्न दर्शाये दस्तावेज / अभिलेखों की सुस्पष्ट व पठनीय प्रतियां क्रमबद्ध ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है एवं इन अभिलेखों स्वप्रमाणित प्रतियां क्रमबद्ध कार्यालय में भारतीय रजिस्टर्ड डाक / स्वयं के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

a. निविदा शुल्क की राशि एवं धरोहर राशि (EMD) ई-पोर्टल पर भुगतान के रसीद की प्रति । MSME एवं Startup को धरोहर राशि (EMD) में छूट

b. कैटरिंग / कैन्टीन एवं मेस संचालन हेतु फर्म/संस्था के स्थापना का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

c. निविदाकर्ता/फर्म/संस्था का फूड सेफ्टी स्टेन्डर्ड एक्ट अनुसार FSSAI का लाइसेंस की छायाप्रति ।

d. पेन (PAN) कार्ड की छायाप्रति ।

e. ITR विगत तीन Assessment year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का, या असाधारण मामले में जहां आयकर विभाग ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि संबंधित फर्म ने नई शुरुआत की है । निविदाएं केवल उन डीलरों/आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकार की जाएंगी जो नियमित आयकर और जी.एस.टी. का भुगतान करते हैं ।

f. जी.एस.टी.(GST) रजिस्ट्रेशन प्रपत्र की छायाप्रति ।

g. जी.एस.टी. रिटर्न (GSTR.-3B) अंतिम तिमाही का पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित की प्रति ।

h. निविदाकर्ता का आधारकार्ड की छायाप्रति । पार्टनर शिप फर्म होने की स्थिती में समस्त पार्टनर के आधार कार्ड की छायाप्रति । निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना आवश्यक है ।

i. नोटरीकृत शपथ पत्र 200/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर । **परिशिष्ट –03**

j. निविदाकर्ता इकाई का विगत तीन वर्षो (Assessment year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 का) का औसत टर्नओवर कम से कम राशि रू. **10,00,000/-** प्रतिवर्ष होना चाहिए । इससे सम्बंधित पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति ।

k. निविदाकर्ता इकाई का निविदा से सम्बंधित शासकीय / अर्धशासकीय / स्वशासी संस्था/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में **कम से कम एक वर्ष** का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य । तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं विभागों द्वारा जारी कुशलतापूर्वक पूर्णता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति । अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यादेश दिनांक 01 जनवरी 2021 के बाद का होना आवश्यक है ।

l. वर्तमान में चल रहे कैटरिंग/कैन्टीन / मेस कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र । किसी भी शासकीय / अर्धशासकीय / स्वशासी संस्था/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में ।

m. **यदि निविदाकर्ताओ में कोई निवदाकर्त्ता स्टार्टअप की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो उसके प्रकरण में टर्नओवर एवं अनुभव में छूट रहेगी । इस हेतु उस इकाई को स्टार्टअप माना जावेगा जो कि भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारिक भाग (DPIIT) के अधीन स्टार्टअप इंडिया से मान्याता प्राप्त हो एवं म0प्र0 राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत होना अनिवार्य है । इस प्रयोजन हेतु उसी स्टार्टअप को मान्य किया जावेगा जो कि केटरिंग या इससे सम्बंधित कार्य में पंजीकृत है ।**

n. निविदा प्रपत्र (फर्म / निविदाकार द्वारा फर्म की मोहर लगा हस्ताक्षरित समस्त प्रपत्र)

1.6. निविदाकर्ता को निविदा में विभिन्न सामग्रियों की पूर्ति हेतु अपना प्रस्ताव आमंत्रित निविदा की वित्तीय दर **परिशिष्ट - 02** के अनुसार ई पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा ।

1.7. निविदा सम्बंधि समस्त दस्तावेज लिफाफे में रख कर सील बन्द कर / मोहर बन्द कर भारतीय रजिस्टर्ड डांक / स्वयं के माध्यम से दर्शाये पते एवं निर्धारित तिथि तक पहुंचाना / उपलब्ध कराना होगा ।

1.8. ई-निविदा भाग लेने हेतु चाहे गये आवश्यक दस्तावेज जो कि ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है कि हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है । कोई भी दस्तावेज मिस-मेच पाये जाने पर उनकी निविदा अमान्य कर निरस्त कर दिया जावेगा । जिस हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा क्रं. फर्म का नाम एवं पता, मोबा. नं आदि, सम्बंधित जानकारी स्पष्ट विस्तृत रूप से अंकित कराना अनिवार्य है । अंकित ना होने की स्थिती में निविदा में शामिल नही किया जावेगा ।

1.9. **प्राप्त निविदाओं के तकनीकी बिड दिनांक 10.09.2026 को प्रातः 11:30** बजे या अगले कार्य दिवस पर निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी । यदि कोई निविदाकर्ता नियत समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी को संबंधित निविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में किसी भी निविदा को खोलने का अधिकार होगा ।

1.10. प्राप्त निविदाओं को समिति द्वारा खोला जावेगी, जिसमें निविदा प्रपत्र के मूल्य की निर्धारित राशि एवं धरोहर राशि (EMD) ई-पोर्टल पर भुगतान के रसीद की प्रति एवं अन्य तकनीकी दस्तावेजो की जांच की जावेगी । तकनीकी दस्तावेज निविदा नियमों एवं शर्तो में उल्लेखित मांपदडों व दस्तावेजों अनुसार तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर ही पात्र निविदाकारों के निविदा वित्तीय दर खोलने की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

1.11. **दिनांक 11 .09.2026 को समय 11:30** बजे या अगले कार्य दिवस पर महाविद्यालय केन्द्रीय क्रय/निविदा समिति द्वारा पात्र / सफल निविदाओं के निविदा दर को ई–पोर्टल पर खोला जावेगा ।

1.12. निविदा के हार्ड कॉपी की मुहर बन्द निविदा लिफाफा कार्यालय अधिष्ठाता में **दिनांक 09.09.2026 सायं 5:00** बजे तक अनिवार्यतः पहुंच जाना चाहिए । निर्धारित दिनांक एवं तिथि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा / निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा । एवं इनकी ई-पोर्टल पर प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा/ निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा ।

1.13. निविदा को स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है ।

2. निविदा प्रपत्र शुल्क, धरोहर राशि एवं परफॉर्मेन्स गारण्टी राशि :-

2.1. जारी निविदा, ई-निविदा के माध्यम से www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गयी है जिसमें ई-पोर्टल के माध्यम से निविदा शुल्क की राशि, धरोहर राशि देय होगी एवं ई-पोर्टल के माध्यम से निविदा दर अंकित करना एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा एवं निर्धारित तिथि तक उक्त निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना होगा ।

2.2. निविदा शुल्क और सुरक्षा जमा राशि (EMD) अनिवार्य है, बिना निविदा शुल्क के निविदा मान्य नहीं होगी तथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। निविदा शुल्क **राशि** एवं **सुरक्षा जमा राशि (EMD)** ई-पोर्टल के माध्यम से देय होगी ।

2.3. यदि निविदा अस्वीकृत कर दी जाती है तो असफल निविदाकारों की बयाना राशि/सुरक्षा राशि (EMD) की पूरी राशि अगले 30 कार्यदिवस में वापस कर दी जावेगी ।

2.4. महाविद्यालय में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि अथवा किसी देयक के विरूद्ध राशि को इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य करने के अनुरोध को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा ।

2.5. सफल निविदाकार को उनके द्वारा दिऐ गये ऑफर को वापिस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तों तथा दशाओं में परिवर्तन करने का कोई अधिकार या अनुरोध स्वीकार नहीं होगा । यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाला निविदाकार विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि को जप्त/राजसात कर लिया जावेगा ।

2.6. धरोहर राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

2.7. सफल निविदाकार अनुबंध के दौरान **परफॉर्मेन्स गारण्टी / कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि के रूप में राशि रू. 50,000/- की एफ.डी.आर.** किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर.(FDR) जमा करनी होगी, जो कि **"Dean College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Mhow" के नाम से जारी की गई हो**, जिसे अनुबंध के सफल सम्पादन, पूर्णता तिथि अथवा सफल वारंटी अवधि पूर्णता के न्यूनतम तीन माह बाद निविदाकार को बापस कर दिया जावेगा ।

2.8. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध के दौरान पर्फोमेन्स गारेन्टी की राशि की एफ.डी.आर. जमा करना होगा । परफॉर्मेन्स गारण्टी हेतु MSME एवं स्टार्टअप के लिए कोई छूट नहीं होगी । पर्फोमेन्स गारेन्टी की राशि की एफ.डी.आर. निर्धारित समय में कार्यालय में जमा ना करने पर उक्त निविदाकार को अनुबंध सम्पादित नहीं किया जावेगा / सप्लाई आदेश जारी नहीं किया जावेगा । और यह माना जावेगा की सफल निविदाकार सामग्री सप्लाई का इच्छुक नहीं है, ऐसे निविदाकार को विभाग द्वारा काली सूची (Black List) में डाला जावेगा, एवं विश्वविद्यालय की भविष्य की किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित रखा जावेगा / इनकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

2.9. परफॉर्मेन्स गारण्टी की राशि निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित शर्तों के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए ली जावेगी । आपूर्ति / कार्य के सफल समापन पर अनुबंध की समाप्ति पर इसे कार्य पूर्णता तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दिया जाएगा । जमा पर्फोमेन्स गारेन्टी की राशि विनिर्देशों के संदर्भ में उचित आपूर्ति के साथ और आपूर्ति के लिए मांगपत्र के अनादर और जानबूझकर आपूर्ति न करने के मामले में अन्य पार्टी / पार्टियों से माल खरीदने / कार्य कराने पर, के माध्यम से किसी भी नुकसान का समायोजन किया जाएगा।

निविदा कार्य के अनुबंध की नियम व शर्तें -:

3.1. निविदा के सम्बंध में प्री बिड मीटिंग, महाविद्यालय सभागार में दिनांक 14.08.2026 समय दोपहर 3:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक निर्धारित की गयी है जिसमें इच्छुक निविदाकर्ता/फर्म/संस्था निविदा प्रपत्र में जो नियम व शर्तें, तथा तकनीकि स्पेसिफिकेशन (terms & conditions, technical specifications,) या scope of work दिया गया है, उसमें अगर किसी निविदाकर्ता/फर्म/संस्था को कोई संशय है तो वो इस बैठक में पूछ सकता है । निविदा दस्तावेजों/प्रपत्र में संशोधन होने पर पृथक से शुद्धिपत्र ई-निविदा पोर्टल पर जारी किया जावेगा ।

3.2. प्री बिड मीटिंग दिनांक के पश्चात निविदाकर्ता/फर्म/संस्था आदि के द्वारा किसी भी प्रकार की ली गयी आपत्ती पर विचार नहीं किया जावेगा ।

3.3. निविदा दर सूची में अंकित समस्त आइटमों के दर अंकित करना अनिवार्य है, वित्तीय निविदा पत्रक के सभी आईटमों के दर के कुल योग की तुलना कर कैटरिंग कार्य हेतु न्यूनतम (L-1) का चयन किया जावेगा । यदि निविदाकार द्वारा कुछ आइटमों को छोडकर दर अंकित किया जाता है तो ऐसे निविदाकार को अयोग्य घोषित कर इनकी दरों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

3.4. महाविद्यालय द्वारा खाना बनाने के लिए जगह परिसर में उपलब्ध कराई जावेगी, खाना परिसर में बनाकर तुरंत परोसना होगा, बाहर से बना हुआ खाना स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3.5. डेयरी, पोल्ट्री और खेती से जुड़े तीन एवं पाँच दिन के एवं एक माह के मैत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ताजा खाना देने के लिए उसी दिन ऑर्डर दिया जाएगा, निविदाकर्ता को तुरंत खाना तैयार करके समय पर परोसना होगा।

3.6. निविदा के माध्यम से अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु प्राप्त दरें महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली सेमीनार / वर्कशॉप / ट्रेनिंग / बैठक / विभिन्न आयोजनों आदि हेतु भी मान्य होगी ।

3.7. भोजन बनाने के सामग्री उत्तम गुणवत्ता का एवं बन्द पैकिट का होना आवश्यक है ।

3.8. भोजन बनाने का कच्चा सामान ताजा होना चाहिए ।

3.9. कैटर्स के द्वारा दी गयी अल्पाहार/भोजन/पानी की गुणवत्ता, सर्विस, स्वच्छता एवं सफाई का संतोषप्रद एवं मानक (Standard) का होना अनिवार्य एवं अल्पाहार/भोजन/पानी आदि सामग्री का प्रदाय निर्धारित गुणवत्ता एवं मात्रा सही नहीं होने पर एक सप्ताह का सूचना पत्र जारी कर अनुबंध को समयपूर्व समाप्त किया जा सकेगा। इस सम्बंध में महाविद्यालय का निर्णय अंतिम व बन्धनकारी होगा।

3.10. भोजन बनाने, परोसने एवं खाने, पानी पीने हेतु समस्त क्रॉकरी एवं अन्य सामग्री (ईंधन सहित) उचित गुणवत्ता की निविदाकार द्वारा ही व्यवस्था की जावेगी । सफल निविदाकार को किसी प्रकार की सामग्री, बर्तन आदि प्रदान नहीं किया जावेगा । शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक / अमानक प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं किया जा जावेगा ।

3.11. सेमीनार / वर्कशॉप / ट्रेनिंग में / बैठक / विभिन्न आयोजनों आदि में अल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध कराने के देयक से शासन नियमों के अनुरूप स्त्रोत पर की जाने वाले करों (Tax) की कटौती निर्धारित दर पर की जावेगी ।

3.12. शासन द्वारा निर्धारित समस्त करों (जी.एस.टी. इत्यादि) का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जावेगा एवं श्रम विभाग के नियमों का पालन किया जावेगा तथा किये गये करों के भुगतान का प्रमाण भी समय समय पर प्रस्तुत कराना होगा ।

3.13. निविदा अनुबंध के शर्तो का उल्लंघन पाये जाने / निर्धारित मीनू के अनुसार चाय, नाश्ता, भोजन उपलब्ध ना कराये जाने / गुणवत्ता युक्त नहीं पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर न्यूनतम 5000/- (पांच हजार रूपये) के मान से राशि का कटौत्रा निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयकों से किया जावेगा । एवं

इसकी पुनरावृत्ति पाये जाने पर अनुबंध / आदेश निरस्त करते हुये अंतिम दण्ड अधिरोपित किया जावेगा, जो कि अमानत राशि / पर्फोमेन्स गारेन्टी / कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि तक हो सकती है । इस सम्बंध में महाविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा ।

3.14. चाय नाश्ता, लंच, डिनर की व्यवस्था सामान्यत: महाविद्यालय में सेमीनार / वर्कशॉप / ट्रेनिंग / प्रशिक्षण, महाविद्यालय द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यक्रम हेतु आदि में चाय, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्था हेतु लिखित आदेश प्राप्त होने के पश्चात प्रदाय करना होगा ।

3.15. वेटर्स साफ-सुथरे कपड़े एवं उचित प्रस्तुति योग्य होना आवश्यक है ।

3.16. स्वल्पाहार / भोजन / पानी एवं अन्य खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की प्रदाय किया जाना अनिवार्य है, इसका पूर्ण दायित्व निविदाकार्ता फर्म का होगा ।

3.17. निविदाकर्ता फर्म स्वल्पाहार / भोजन / पानी एवं अन्य खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता वाली प्राप्त आदेशानुसार/निर्देशानुसार निर्धारित दिनांक एवं समय पर कराया जाना आवश्यक होगा । निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं समय का पालन नहीं किया गया पाया जाता है तो महाविद्यालय द्वारा जारी क्रय आदेश निरस्त कर सुरक्षा राशि/ पर्फोमेन्स गारेन्टी राशि राजसात कर ली जावेगी एवं निविदा में शामिल द्वितीय निविदाकार (L-2) को कार्यादेश जारी कर कार्य सम्पादित कराया जा सकेगा ।

3.18. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित दर में प्रत्येक अल्पाहार / भोजन, नास्ता के साथ प्रति व्यक्ति को एक बार 250ML का मिनरल वॉटर प्रदाय किया जाना शामिल होगा । यदि अल्पाहार / भोजन, नास्ता के अतिरिक्त अलग से मिनरल वॉटर की मांग की जाती है तो निविदा में प्रस्तावित स्वीकृत दर पर पृथक से भुगतान किया जावेगा ।

3.19. निविदाकर्ता द्वारा खाद्य सामग्री आपूर्ती के देयक का सत्यापन खाद्य आपूर्ती विभाग के अधिकारी / कर्मचारी से कराना आवश्यक होगा।

3.20. बाल मजदूरी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी इसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी ।

3.21. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की घटना / दुर्घटना या हानि होने पर महाविद्यालय की जबावदारी नहीं होगी ।

3.22. तकनीकी निविदा में अंकित मांपदंडो में पात्र पाये गये निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी ।

3.23. उपरोकतानुसार वित्तीय निविदा हेतु यदि दो या दो से अधिक निविदाकारो की प्रस्तावित न्यूनतम दरों का योग न्यूनतम एवं एक समान पायी जाती है तो उक्त परिस्थिति निविदाकर्ता फर्म / संस्था के कार्य अनुभव के आधार पर अधिक अंक प्राप्त करने वाली फर्म की न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जावेगी । जिस हेतु टर्न ओवर एवं अनुभव के आधार पर अंको का निर्धारण महाविद्यालय समिति द्वारा किया जावेगा । इस संबंध में महाविद्यालय का निर्णय अंतिम व बन्धनकारी होगा ।

3.24. निविदाकार द्वारा प्रदाय की जाने वाली केटरिंग सर्विसेस से सम्बंधित किसी भी विधि समस्त प्रावधान के उलंघन अथवा कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कैटरिंग संस्था / निविदाकार का होगा ।

3.25. कार्य के दौरान कोई भी कर्मचारी मद्यपान यथा शराब, तम्बाकू, सिगरेट तथा अन्य कोई नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी को प्रदाय करेगा । इसका उलंघन करने वाले कर्मचारी को तत्काल हटाने की कार्यवाही निविदाकार को अनिवार्य रूप से करनी होगी तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की होगी । यदि उक्त के सम्बंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होगी तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

3.26. भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण समय समय पर संस्था एवं महाविद्यालय अधिकारियों से करवाया जावेगा । निरीक्षण के दौरान निविदाकर्ता को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा । परीक्षण दौरान भोजन सामग्री मांपदण्डों अनुसार नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी तथा निविदा की अमानत राशि राजसात की जा सकेगी एवं ब्लेक-लिस्ट किया जावेगा ।

3.27. निविदाकार को चाय, नाश्ता, एवं भोजन उत्तम गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कर प्रदाय करना होगा । उपयोगिता खाद्य सामग्री के क्रय के बिल संधारित कर निविदाकार द्वारा रखा जावेंगे तथा गुणवत्ता टीम को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराने होंगे ।

3.28. खाद्य तेल एवं मसाले ब्रांडेड कम्पनी एवं अच्छी क्वालिटी (स्थापित ब्रांड) का ही उपयोग में लाया जावेगा ।

3.29. भोजन, चाय एवं नाश्ते का प्रदाय निर्धारित मीनू, क्वालिटी एवं मात्रा के अनुसार किया जायेगा ।

3.30. उपयोग हेतु कप, प्लेट, बर्तन, टेबिल कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था निविदाकार द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।

3.31. आवश्यक उपकरणों (भोजन पकाने, परोसने एवं अन्य सामग्री) की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी, विशेषकर कप, प्लेट्स चीनी मिट्टी के एवं ग्लास कांच के एवं कटौरे चीनी मिट्टी यां स्टील के तथा चम्मच स्टील के उपयोग करने होगें ।

3.32. मौसम में उपलब्ध होने वाली सब्जियां जैसे – आलू , मटर, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, भिण्डी, कटहल, बैगन, शिमला मिर्च, लौकी, गिलकी, बीन्स, टिन्डें, परवल, करेला , अरबी इत्यादि का उपयोग मीनू अनुसार बारी -बारी से होगा । एक ही सब्जी बार बार नही दी जावेगी । गरम पानी से एक बार अच्छी तरह धोना अनिवार्य होगा । सब्जी सलाद काटने के लिए स्टेनलेस स्टील के औजार का इस्तेमाल करना अनविार्य होगा ।

3.33. कार्य के दौरान कचरे निष्पादन सही रूप से करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी, ना करने पर यदि नगर निगम द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तो उसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा ।

3.34. निविदाकार सामग्री हेतु प्रस्तुत / अंकित की गयी दरें भारतीय मुद्रा में अंकित की जावेगी ।

3.35. निविदा में प्राप्त योग्य प्रस्ताव (न्यूनतम दर) अनुबंध / दर स्वीकृति आदेश दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध / लागू रहेगा। तदानुसार अनुबंध सम्पादित किया जावेगा । निविदा अनुबंध अवधि के दौरान निविदाकर्ता द्वारा निविदा की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर प्राथमिक निविदा अनुबंध की अवधि निविदाकार एवं महाविद्यालय के मध्य आपसी सहमति से मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम – 2015 (यथा संशोधित 2022) के अंतर्गत आगामी अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा । निविदाकर्ता की सेवाऐं /सामग्री आपूर्ती संतोषजनक एवं निविदाशर्तों के अनुसार ना पाये जाने पर 15 दिवस की सूचना दी जाकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा । महाविद्यालय को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्शाये भी एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगें ।

3.36. महाविद्यालय/सक्षम प्राधिकारी अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू केवल न्यूनतम दरें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

3.37. यदि निविदाकर्ता निर्धारित अवधि में आपूर्ति के आदेशों का पालन करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी (अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू) द्वारा सुरक्षा राशि/ परफोमेन्स गारण्टी राशि राजसात कर ली जावेगी । ऐसे निविदाकार को विभाग द्वारा काली सूची (Black List) में डाला जावेगा एवं महाविद्यालय की भविष्य की किसी भी निविदा में भाग लेने से बंचित रखा जावेगा / इनकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

3.38. एक बार निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निविदाकर्ता द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है।

3.39. निविदाकर्ता को कार्य का नाम, निविदा क्रमांक एवं अंतिम तिथि तथा प्राप्तकर्ता कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से लिफाफे पर लिखना होगा ।

3.40. निविदाकर्ता को अपनी फर्म का नाम, पता, ई-मेल और टेलीफोन नंबर स्पष्ट रूप से लिफाफे पर लिखना होगा ।

3.41. निविदाकर्ता / फर्मों को निविदा नियम एवं शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर लगानी होगी ।

3.42. निविदा प्रक्रिया (फर्मों के बीच टाई, निविदा रद्द करना आदि) के संबंध में महाविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा ।

3.43. निविदाकार द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार का उलंघन करने से महाविद्यालय को हुई हानि की वसूली निविदाकार से वसूल की जाएगी । यह वसूली निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयकों एवं धरोहर राशि अथवा **परफॉमेन्स गारण्टी** की राशि से की जावेगी ।

3.44. निर्धारित निविदा फार्म में किसी भी प्रकार किए गए परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जावेगा । अपूर्ण निविदा एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी ।

3.45. अनुबंधित निविदाकार जिसे महाविद्यालय द्वारा कार्य आबंटित किया गया है, वह किसी अन्य निविदाकार / व्यक्ति को कार्य हस्तान्तरित (Sublet) नहीं कर सकता ।

3.46. कार्यादेश के आधार पर महाविद्यालय द्वारा कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा । किसी भी बैंक / संस्था से लोन लेने हेतु निविदाकार की महाविद्यालय द्वारा अनुसंशा नहीं की जावेगी ।

3.47. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्रों में अंकित किया गया पता ही अनुबंध एवं आब्रिट्रेशन आदि के समस्त उद्देश्यों हेतु मान्य होगा, जब तक की निविदाकार द्वारा विधिवत कोई नया पता महाविद्यालय को पंजीकृत पावती डाक से सूचित नहीं किया जाता है ।

3.48. फर्म को न तो राज्य में और न ही देश में किसी भी एजेंसी अथवा शासकीय /अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। 200/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर का नोटरीकृत शपथ पत्र अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। परिशिष्ट – 03 अनुसार ।

3.49. निविदाकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा सकेगा । परीक्षण पश्चात दस्तावेजों में कोई असत्य जानकारी पाई जाती है तो उक्त निविदाकार की धरोहर राशि एवं अन्य देय राशि राजसात की जाकर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जावेगी ।

3.50. सफल निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से 1000/- रुपए के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर / ई-स्टाम्प पर अनुबंध बांड 10 दिवस के भीतर निष्पादित करना होगा । यदि कोई सफल निविदाकर्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर / ई-स्टाम्प पर अनुबंध बांड निष्पादित करने में विफल रहता है, तो " अधिष्ठाता पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू " ऐसे सफल निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा राशि/ परफॉमेन्स गारण्टी राशि जब्त करने के लिए सक्षम होगा । एवं ऐसे निविदाकार को विभाग द्वारा काली सूची (Black List) में डाला जावेगा तथा महाविद्यालय की भविष्य की किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित रखा जावेगा / इनकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

3.51. सफल निविदाकर्ता को महाविद्यालय के साथ निविदा दर स्वीकृति सूचना के 10 दिवस के अन्दर शासन के नियमानुसार निविदा नियमों एवं शर्तों पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा । निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं कर पाने की दशा में धरोहर राशि महाविद्यालय के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी । अनुबंध का संपूर्ण व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा । निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने की दशा में प्रतिभूति राशि एवं निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी तथा सफल निविदाकार की एल-1 की दर निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता को प्रथम घोषित कर न्यूनतम दरों पर सेवाएं देने का अवसर प्रदान किये जाने पर विचार किया जा

सकेगा । निविदा में शामिल द्वितीय निविदाकर्ता को क्रय ओदश जारी करने पर अंतर की राशि का कटौत्रा सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत धरोहर राशि से म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वसूल किया जावेगा ।

3.52. शर्तें निर्धारित करते समय कई बार कई समस्याओं का दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है । अतः सक्षम प्राधिकारी अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू जनहित में निविदा की किन्हीं भी शर्तों को परिवर्तित कर सकते हैं ।

3.53. सक्षम प्राधिकारी अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू (Dean Co.Vsc., MHOW), को निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या एक या एक से अधिक निविदाकर्ताओं के बीच आपूर्ति का वितरण करने और नियम व शर्तों को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जावेगा ।

3.54. सक्षम प्राधिकारी अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू (Dean Co.Vsc., MHOW), निविदा के तहत अनुबंध के दौरान किसी भी समय अनुबंध / कार्यादेश को निरस्त या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता मुआवजे के किसी भी दावे के बिना इसका पालन करने के लिए बाध्य होगा।

3.55. इस अनुबंध के क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में, आर्बिटिटर / मध्यस्थता की शक्ति माननीय कुलगुरू जी, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पास है, जिनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम व बंधनकारी होगा।

3.56. किसी भी प्रकार की वाद-विवाद की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय जिला जबलपुर न्यायायिक क्षेत्र होगा ।

3.57. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य है कि उसने निविदा/अनुबंध की सभी शर्तों को पढ़ लिया है और आपूर्ति के दायरे और विनिर्देशों से पूरी तरह अवगत है। उसे सामग्री की उपयुक्तता और उपलब्धता के बारे में भी खुद को संतुष्ट करना चाहिए। जो निविदाकर्ता हमारे अनुबंध की शर्तों और नियमों से संतुष्ट नहीं है, उसे निविदा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3.58. **सामग्री जो कि कैटरिंग में उपयोग में लाई जावेगी**

क्रमांक	सामग्री का नाम	संस्थान (Make)
1	चाय / कॉफी	ताजमहल, ताजा, रेड लेबल/नेस्काफी इत्यादि
2	बिस्कुट	पारले एवं ब्रिटेनिया कम्पनी का मीठा एवं नमकीन बिस्कुट इत्यादि
3	गेहूँ	अच्छा गुणवत्ता के गेहूँ
4	चावल	अच्छे गुणवत्ता के चावल
5	दाल	सभी दाल अच्छी गुणवत्ता का (मेन्यू अनुसार)
6	तेल	रिफाइंड तेल – महाकोश, फार्चुन, वाईटल, सफोला इत्यादि
7	मिठाई	प्रतिष्ठित दुकान से अथवा अनुभवी कारिगरों के द्वारा मेस में तैयार की गयी ताजी मिठाईयां
8	सब्जी / फल	ताजा सब्जी / ताजे फल मौसम के अनुरूप
9	पनीर / दही	बाहर की प्रतिष्ठित डेयरी से
10	दूध	सांची, अमूल अथवा प्रतिष्ठित डेयरी से
11	मसाले	प्रतिष्ठित कम्पनी के अथवा स्वयं की व्यवस्था से मेस में तैयार कराये गये मशाले

अधिष्ठाता
पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन
महाविद्यालय
महू (म.प्र.)

निविदाकार के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिशिष्ट – 01

तकनीकी बिड हेतु दस्तावेज

कार्य - पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू में कैटरिंग कार्य (भोजन, पानी की व्यवस्था) हेतु दर निर्धारण।

निविदा क्र. 423/क्रय/Tender/ET-......../2026-27/....., दिनांक 06/2/26

क्र.	विवरण	Details Enclosed by Bidder/Firm/Proprietor	Scrutinizing by committee
1	निविदाकर्ता / संस्था का नाम		
	संस्था प्रमुख/प्रमुखो का नाम		
	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता		
	टेलिफोन नम्बर		
	मोबाइल नम्बर		
	ई-मेल		
2	संस्था प्रमुख/प्रमुखो का आधार नम्बर एवं कार्ड की छायाप्रति		
3	निविदा शुल्क की राशि एवं धरोहर राशि (EMD) ई-पोर्टल पर भुगतान के रसीद की प्रति । MSME / Startup के रूप में पंजीकृत फर्मो को धरोहर राशि (EMD) में छूट ।		
4	भारत सरकार / राज्य सरकार /मध्यप्रदेश सरकार के जिला कार्यालय, नगर निगम में कैटरिंग कैन्टीन एवं मेस संचालन हेतु / संस्था के स्थापना का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की/फर्म/निविदाकर्ता छायाप्रति		
5	निविदाकर्ता/फर्म/संस्था का फूड सेफ्टी स्टेन्डर्ड एक्ट अनुसार FSSAI का लाइसेंस की छायाप्रति ।		
6	पेन कार्ड (PAN Card) की छायाप्रति		
7	ITR विगत तीन Assessment year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की छायाप्रति		
8	जी.एस.टी.(GST) रजिस्ट्रेशन प्रपत्र की छायाप्रति ।		
9	जी.एस.टी. रिटर्न (GSTR.-3B) अंतिम तिमाही का पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित की प्रति		
10	नोटरीकृत शपथ पत्र 200/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर । **परिशिष्ट –03**		
11	तीन वर्षो का टर्न ओवर पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष /Assessment year 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का औसत टर्न ओवर कम से कम राशि रू. **10,00,000/- प्रतिवर्ष** होना चाहिए।		
14	निविदा कार्य से सम्बंधित शासकीय / अर्धशासकीय / स्वशासी संस्था / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय **कम से कम एक वर्ष** का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य	1. कार्यादेश क्रं./ दिनांक	
	1. **कम से कम एक कार्य आदेश होने चाहिए** तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, कार्यादेश दिनांक 01 जनवरी 2021 के बाद का होना आवश्यक है । 2. विभागो द्वारा जारी कुशलतापूर्वक पूर्णता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।	2. पूर्णता प्रमाण पत्र क्रं./ दिनांक	

15	वर्तमान में चल रहे केटरिंग/केन्टीन / मेस कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र । किसी भी शासकीय / अर्धशासकीय / स्वशासी संस्था / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में ।		
16	यदि निविदाकर्ताओ में कोई निविदाकर्ता स्टार्टअप की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो उसके प्रकरण में टर्नओवर एवं अनुभव में छूट रहेगी । इस हेतु उस इकाई को स्टार्टअप माना जावेगा जो कि भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारिक भाग (DPIIT) के अधीन स्टार्टअप इंडिया से मान्याता प्राप्त हो एवं म0प्र0 राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत होना अनिवार्य है । इस प्रयोजन हेतु उसी स्टार्टअप को मान्य किया जावेगा जो कि केटरिंग या इससे सम्बंधित कार्य में पंजीकृत है । तत्संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र की छायाप्रति		

निविदाकार के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिशिष्ट – 02

निविदा दर पत्रक

भोजन / MEALS (BREAKFAST / LUNCH/ DINNER/ HIGH TEA and etc.items) for Catering etc.

S. No.	विवरण (केटगरी + मीनू)	इकाई	औसत दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
1.	**Tea** 1. **Plain Tea** 2. **Coffee**	प्रति कप	
2.	नाश्ता - सामान्य 1. पोहा + जलेबी / समोसा / आलूबड़ा / कचौरी+चाप	प्रति प्लेट	
	नाश्ता – स्पेशल 1. Potato paratha + Curd + Tea/Coffee. या 2. Poori + Sabji + Achar + Tea/Coffee. या 3. Bhatura+ Chole + Achar +Tea/Coffee.	प्रति प्लेट	
3.	लंच - सामान्य Veg- :- Dal+ Dry Seasonal Vegetable + Rice + Roti (Tawa/Tandoori)+ Salad+ Achar+ Bundi Rayta + Sweet (Gulab Jamun / Barfi)	प्रति थाली	
	लंच - स्पेशल Veg- :- Dal + Dry Seasonal Vegetable + Paneer with Gravy + Butter+ Vegetable Pulao + Butter Paratha + Roti (Tawa/Tandoori) + Salad + Papad+ Chatni + Achar + Fruit Rayta + Sweet (Gulab Jamun / Barfi)+Ice Cream	प्रति थाली	
4.	डिनर – सामान्य Veg- :- Dal+ Dry Seasonal Vegetable + Rice + Roti (Tawa/Tandoori)+ Salad+ Achar+ Bundi Rayta+ Sweet (Gulab Jamun / Barfi)	प्रति थाली	
	डिनर – स्पेशल Veg- :- Dal + Dry Seasonal Vegetable + Paneer with Gravy + Butter+ Vegetable Pulao + Butter Paratha + Roti (Tawa/Tandoori) + Salad + Papad+ Chatni + Achar + Fruit Rayta + Sweet (Gulab Jamun / Barfi)+Ice Cream	प्रति थाली	
5.	**High tea for Inaugural & Valedictory Function** 4.1 - Kachori/Samosa/Aalubada+ Sweet+ Chips+ Biscuit/Cookies+ Tea/Coffee	प्रति प्लेट	
6.	प्रशिक्षार्थी/ कृषकों हेतु भोजन (सामान्य) :- Dal + Dry Seasonal Vegetable + Rice + Roti / puri + Salad+ Achar+ Sweet (Gulab Jamun/ Barfi)/ Icecream.	प्रति थाली	
7.	प्रशिक्षार्थी/ कृषकों हेतु भोजन (स्पेशल) :- Dal + Dry Seasonal Vegetable + Paneer with Gravy + Rice + Roti Tawa / puri + Salad + Papad + Achar + Sweet (Gulab Jamun/ Barfi) Icecream.	प्रति थाली	
8.	कृषिको हेतु भोजन (पैकिड) :- Dry Seasonal Vegetable(100gm) + Puri (08) + Achar + Sweet (Gulab Jamun/ Barfi).	प्रति पैकिड	
10.	छाछ/नींबू पानी/जलजीरा (**200** मि.ली.)	प्रति (200 मि.ली.)	
11.	लस्सी (**200** मि.ली.)	प्रति (200 मि.ली.)	
12.	पकोडे **100** ग्राम	प्रति प्लेट (100 ग्रा.)	

परिशिष्ट - 02

13.	समोसा / कचौरी	प्रति नग	
14.	पीने का पानी **(Mineral Water)** 13.1 – 250ml Mineral Water	Per Bottle	
	13.2 – 500ml Mineral Water	Per Bottle	
	13.3 – 1000ml Mineral Water	Per Bottle	
	13.4 – 20 Liter Mineral Water with 100nos drinking disposal/Glass	Per Container + 100nos drinking disposal/Glass	
		दरों का कुल योग	

नोट - निविदा दर सूची में अंकित समस्त आइटमों के दर अंकित करना अनिवार्य है, वित्तीय निविदा पत्रक के सभी आईटमों के दर के कुल योग की तुलना कर कैटरिंग कार्य हेतु न्यूनतम (L-1) का चयन किया जावेगा । यदि निविदाकार द्वारा कुछ आइटमों को छोड़कर दर अंकित किया जाता है तो ऐसे निविदाकार को अयोग्य घोषित कर इनकी दरों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर (सील सहित)

परिशिष्ट - 03

शपथ पत्र का प्रारूप (Affidavit)

(Notaries affidavit On Non-Judicial stamp of Rs. 200/-)

मैं/हम ....(एजेन्सी का नाम) में अधिकृत प्रतिनिधि हूँ,मेरे/निम्न हस्ताक्षरकर्ता, एतद् द्वारा नियमानुसार शपथ पूर्वक कथनकरता हूँ/करते हैंकि :-

1. मैंने/हमनें पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू की निविदा क्रं. ....दिनांक .... के कार्य .... हेतु निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है, जिसमें उसमें उल्लेखित सभी नियम और शर्तें शामिल हैं।
2. मैं/हम निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी नियमों, शर्तों और विनिर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं किमेरा/हमारा कोई करीबी रिस्तेदार आपके विभाग में / संस्था में कार्यरत नही है ।
4. मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं किमुझे/हमारी फर्म को निविदा भरने की तिथी तक न तो राज्य में और न ही देश में किसी भी एजेंसी अथवा किसी अन्य संगठन/शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है / काली सूची में नहीं डाला गया है ।
5. यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी झूठी या भ्रामक पाई जाती है, तो मैं/हम सहमत हैं कि मेरी/हमारी निविदा अयोग्य हो सकती है और विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है ।
6. मैं/हम पुष्टि करते हैं कि इस निविदा के समर्थन में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेज मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं।यदि मुझे / हमें निविदा प्राप्ति पश्चात मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य या झूठी पायी जाती है तो मेरी निविदा यथा स्थिती निरस्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने के लिए महाविद्यालय स्वतंत्र होगा । जिस हेतु महाविद्यालय द्वारा मेरे विरूद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी ।
7. मैं/हम यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि अनुबंध प्रदान किया जाता है, तो मैं/हम उसके निष्पादन के दौरान सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।

शपथकर्ता का नाम :-......................................

हस्ताक्षर :- ....

मोबाइल नं. :- ....

पता :- ....

सत्यापित :-
(नोटरी के हस्ताक्षर एवं मुहर)